

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(148) छात्र./नवीन पोर्टल./सान्याअवि/2016-17/ 4294 दिनांक : 1-2-17

विज्ञापन

विभागीय आदेश संख्या 80211 दिनांक 26.12.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राष्ट्रीय स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा विभागीय वेबसाईट [www.sje.rajasthan.gov.in](http://www.sje.rajasthan.gov.in) के Home Page पर New Scholarship Portal (2016-17) पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने, शिक्षण संस्था को प्राप्त समस्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच उपरान्त स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन फारवर्ड करने एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त पात्र आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी कर, स्वीकृतशुदा आवेदन पत्रों का संबंधित विद्यार्थियों के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में ऑनलाईन भुगतान करने एवं आक्षेप योग्य आवेदन पत्रों को संबंधित शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित(Forward) करने के लिए निर्धारित की गई तिथियों में निम्नानुसार संशोधन कर नवीन तिथियां निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	28 फरवरी, 2017 (मंगलवार)
2	शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑन लाइन आवेदन पत्रों की गहन जांच कर पात्र आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (विभागीय जिलाधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/ संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी) को फारवर्ड करने की अंतिम तिथि	10 मार्च, 2017 (शुक्रवार)
5	स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त समस्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की ऑन लाईन स्वीकृति जारी करना, आक्षेप करना एवं आक्षेपित आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फॉरवर्ड) करने की अंतिम तिथि	15 मार्च, 2017 (बुधवार)
6	स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों की छात्रवृत्ति राशि का जिला कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आई.एफ.एम.एस के माध्यम से ऑनलाइन बिल तैयार करने/करवाने की अंतिम तिथि	20 मार्च, 2017 (सोमवार)
7	स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों के ऑनलाइन बिल बनाकर, बजट मद अंकित करवाकर आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर ट्रेजरी में भिजवाने की अंतिम तिथि	25 मार्च, 2017 (शनिवार)
8	ट्रेजरी से पारितशुदा बिलों की विद्यार्थियों के परिवारों के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में राशि हस्तांतरण करने/करवाने की अंतिम तिथि	31 मार्च, 2017 (शुक्रवार)

नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल 2016-17 पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु शीर्ष संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों के लिए जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।



(रवि जैन)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राज. जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर।
7. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग, जयपुर।
8. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर।
9. आयुक्त कॉलेज शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
10. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास
12. अतिरिक्त निदेशक (अ.जा./जन.जा. कल्याण), मुख्यावास।
13. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
14. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
15. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
16. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर/ निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं का ऑनलाईन पंजीकरण, प्रोफाईल अपडेशन एवं पाठ्यक्रम मैपिंग कर मान्यता/संबद्धता का सत्यापन/अनुमोदन आपके बोर्ड से दिनांक 28 फरवरी, 2017 से पूर्व कराने हेतु संबंधित कार्मिकों को निर्देशित करावें।
17. प्राचार्य /संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान को प्रेषित कर अनुरोध है कि आपकी शिक्षण संस्थाओं का ऑनलाईन पंजीकरण, प्रोफाईल अपडेशन एवं पाठ्यक्रम मैपिंग कर मान्यता/संबद्धता का सत्यापन/अनुमोदन दिनांक 28 फरवरी, 2017 से पूर्व कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
18. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त). को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र को आपके जिले में संचालित हो रहे राजकीय/निजी शिक्षण संस्थाओं का ऑनलाईन पंजीकरण, प्रोफाईल अपडेशन एवं पाठ्यक्रम मैपिंग कर विश्वविद्यालय/ बोर्ड/काउंसिल से अनुमोदन दिनांक 28 फरवरी, 2017 से पूर्व कराने हेतु संबंधित संस्थाओं को सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
19. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/प्रोग्रामर, मुख्यावास को उपरोक्तानुसार पोर्टल पर व्यवस्था सुनिश्चित करवाने, अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
20. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।

(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक  
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)